



2026:AHC: 25438-DB

10 दिसंबर 2025 को सुरक्षित

05 फरवरी 2026 को पारित

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या- 3265/2025

साबिर एवं एक अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: मो. फैज़, पुलक गांगुली

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, राजेंद्र कुमार यादव

चैम्बर में

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I

(माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I, द्वारा प्रदत्त)

1. अपीलार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री पुलक गांगुली; अपीलार्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री मो. फैज़; सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेंद्र कुमार यादव; राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-1 श्री सुशील पांडे को सुना गया और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का परिशीलन किया गया।

2. प्रस्तुत आपराधिक अपील, अपीलार्थियों, नामतः साबिर और तस्लीम उर्फ तहसील द्वारा, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश [त्वरित न्यायालय]-प्रथम, बरेली द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 905 वर्ष 2011, धारा 307/34, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना अलीगंज, जिला बरेली से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या 388 वर्ष 2014, सत्र वाद कंप्यूटर संख्या 368 वर्ष 2014 [राज्य बनाम साबिर एवं अन्य] में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.03.2025 के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को निम्नानुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है:

(i) धारा 307/34 भा.द.सं. के अंतर्गत आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 50,000/- रुपये का जुर्माना, और जुर्माना न भरने की स्थिति में दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) धारा 504 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध के लिए दो वर्ष का कारावास।

(iii) धारा 506 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध के लिए सात वर्ष का कारावास।

3. अभियोजन पक्ष के संक्षिप्त प्रकरण के अनुसार, सूचनादाता मोहम्मद उमर ने चार अभियुक्तों, नामतः साबिर खान, तहसील खान, इलियास और कासिम के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस अभिकथन के साथ दर्ज कराई कि शिकायत दर्ज करने से 6-7 दिन पहले, उनके गाँव के तहसील खान ने एक टेम्पो (छोटा हाथी) खरीदा था और उसकी पार्किंग के संबंध में सूचनादाता और उसके पिता की तहसील के भाई साबिर खान के साथ बहस हुई थी और उसने उनके पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। आज दोपहर लगभग 3:30 बजे सूचनादाता और उनके पिता गाँव के बाजार गए थे। वह कुछ सामान खरीद रहे थे और उनके पिता वहाँ खड़े थे। उसी समय, साबिर खान चाकू से लैस होकर पहुँचा। साबिर के भाई तहसील खान और इलियास खान तथा ऐजुब खान का पुत्र कासिम भी वहाँ मौजूद थे। साबिर ने उनके पिता को डराया। इसी बीच, तहसील खान और इलियास खान ने उनके पिता को पकड़ लिया और कासिम ने कहा, "इसे मारो ताकि यह बच न सके"। इस पर साबिर खान ने हाथ में चाकू लेकर उनके पिता की गर्दन के बीच में दाहिनी ओर जान से मारने की नीयत से वार किया और इससे पहले कि उनके पिता कुछ कह पाते, साबिर खान ने फिर से उनके हाथ पर हमला किया। उनके पिता तड़पते हुए वहीं गिर पड़े। जब सूचनादाता ने अपने पिता को बचाने की कोशिश किया, तो उन्होंने उसे भी जान से मारने की धमकी दी और चले गए। गफूर खान, भोले खान और उनके गाँव के अन्य लोग, जो बाजार में मौजूद थे, उन्होंने घटना देखा और उन्हें बचाया था। सूचनादाता की लिखित शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

4. अपीलार्थियों पर धारा 307/34, 504, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध करने का आरोप विरचित किया गया। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग किया।

5. अभियोजन के प्रकरण को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने पी.डब्ल्यू.-1, मोहम्मद उमर (वाद के सूचनादाता); पी.डब्ल्यू.-2, दुलारे खान (घायल); पी.डब्ल्यू.-3, गफूर खान (चक्षुदर्शी साक्षी); पी.डब्ल्यू.-4, डॉ. आर. के. ढाका (विशेषज्ञ साक्षी); पी.डब्ल्यू.-5, भोले खान (चक्षुदर्शी साक्षी); पी.डब्ल्यू.-6, उप-निरीक्षक नरेश चंद्र शर्मा (विवेचना अधिकारी) को परीक्षित किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. दस्तावेजी साक्ष्य में मूल शिकायत (प्रदर्श क-1), घायल-दुलारे खान की चोट रिपोर्ट (प्रदर्श क-2), घायल की पूरक चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श क-3), नक्शा-नजरी (प्रदर्श क-3), आरोप पत्र (प्रदर्श क-4) और चिक एफ.आई.आर. (प्रदर्श क-5) दाखिल किए गए।

7. अपीलार्थियों के बयान धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपनी बेगुनाही का दावा किया और कहा कि उन्हें इस वाद में झूठा फँसाया गया है। अपीलार्थियों ने अपने विरुद्ध झूठे वाद को स्थापित करने के लिए तीन बचाव साक्षी पेश किए।

8. पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए अभिकथन के अनुसार अभियोजन के प्रकरण का समर्थन किया।

9. पी.डब्ल्यू.-4, डॉ. आर.के. ढाका ने कहा कि उन्हें घायल के शरीर पर निम्नलिखित चोटें मिलीं:

(i) गर्दन के पार्श्व भाग पर 4 सेमी x 1 सेमी का कटा हुआ घाव, दाहिने कान से 6 सेमी नीचे, रक्तस्राव मौजूद।

(ii) बाएं हाथ की कलाई से 9 सेमी ऊपर, अंदर की तरफ 4 सेमी x 1 सेमी x 6 सेमी मांसपेशी तक गहरा कटा हुआ घाव, रक्तस्राव मौजूद। एक्स-रे की सलाह दी गई।

10. डॉक्टर के अनुसार, चोट संख्या 1 प्रकृति में साधारण थी और चोट संख्या 2 को निगरानी में रखा गया था तथा एक्स-रे की सलाह दी गई थी। चोट संख्या 2 के एक्स-रे के बाद, कोई अस्थि भंग नहीं पाया गया और इसे प्रकृति में साधारण पाया गया।

11. पी.डब्ल्यू.-5, भोले खान ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया और कहा कि घायल को चोटें इसलिए आईं क्योंकि बाजार में किसी ने कहा कि एक सांड आ रहा है और उसके बाद भगदड़ मच गई, जिसमें घायल गिर गया और सांड के पैरों के नीचे कुचल गया और उसे चोटें आई थीं।

12. पी.डब्ल्यू.-6, इस वाद के विवेचना अधिकारी औपचारिक साक्षी हैं।

13. डी.डब्ल्यू.-1, डी.डब्ल्यू.-2 और डी.डब्ल्यू.-3 ने बार-बार कहा कि घायल को चोट गिरने से लगी, क्योंकि बाजार में एक सांड दौड़ रहा था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अपीलार्थियों को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया।

15. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थियों को दी गई सजा उनके द्वारा कथित तौर पर किए गए अपराध की तुलना में अत्यधिक असंगत है। यह भी तर्क दिया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा डॉक्टर की गवाही पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि पीड़ित को लगी चोटें साधारण प्रकृति की थीं और सब्जी मंडी में गिरने के कारण लगी थीं, क्योंकि वहाँ सांड दौड़ रहा था। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि स्वतंत्र साक्षीगण पी.डब्ल्यू.-3 और पी.डब्ल्यू.-5 की गवाही पर विद्वान विचारण न्यायालय ने अविश्वास किया है, भले ही उन्होंने बार-बार कहा है कि दुलारे खान को लगी चोट बाजार में गिरने का परिणाम थी, क्योंकि एक गुस्सैल सांड वहाँ दौड़ रहा था और तबाही मचा रहा था। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *सिवमणि एवं अन्य बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक, वेल्लोर तालुक पुलिस स्टेशन, वेल्लोर जिला द्वारा प्रतिनिधित्व [2023] 14 एस.सी.आर. 849* के वाद में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है।

16. दूसरी ओर, राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का कड़ा विरोध किया और प्रस्तुत किया कि हत्या के प्रयास के प्रकरण में चोट की प्रकृति और गंभीरता से अधिक 'आशय' महत्वपूर्ण है और इसलिए, धारा 307/34 भा.द.सं. के अंतर्गत अपीलार्थियों को आजीवन कारावास का दण्ड देना न्यायसंगत है।

17. प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने और अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों का अवलोकन करने के बाद, हम पाते हैं कि:

18. *मध्य प्रदेश राज्य बनाम सलीम, (2005) 5 एससीसी 554* में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक नहीं था कि मृत्यु का परिणाम देने में सक्षम शारीरिक चोट पहुँचाई गई हो। ऐसे में, केवल इस आधार पर कि साधारण चोट पहुँचाई गई थी, धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि न होना स्वाभाविक रूप से नहीं होता है। उसी निर्णय में, यह स्पष्ट किया गया था कि "...न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या कार्य, उसके परिणाम के बावजूद, उस आशय या ज्ञान के साथ और धारा में उल्लिखित परिस्थितियों में किया गया था।" यह स्थिति कि चूंकि घातक चोट नहीं लगी थी, अकेले धारा 307

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भा.द.सं. को नहीं हटाती है। *जगे राम बनाम हरियाणा राज्य, (2015) 11 एससीसी 366* और *मध्य प्रदेश राज्य बनाम कान्हा, (2019) 3 एससीसी 605* में यह देखा गया कि यद्यपि धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए गंभीर या जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली चोट आवश्यक नहीं थी, "अभियुक्त का आशय का पता वास्तविक चोट, यदि कोई हो, के साथ-साथ आसपास की परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। अन्य बातों के अलावा, इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति और किए गए वार की तीव्रता पर मंशा का अनुमान लगाने के लिए विचार किया जा सकता है।"

19. धारा 307 भा.द.सं. इस प्रकार है:

"307. हत्या का प्रयास—

जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान के साथ और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर देता, तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा; और यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को उपहति कारित होती है, तो अपराधी आजीवन कारावास या ऐसे दंड से, जैसा कि इसमें पहले बताया गया है, दंडनीय होगा।"

20. उपरोक्त धारा से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपराधी का कार्य मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। यदि अपराधी का कार्य मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उसे हत्या के प्रयास का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

21. धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत हत्या के प्रयास के वाद में सिद्ध किए जाने वाले आवश्यक तत्व हैं - (i) कि मानव की मृत्यु का प्रयास किया गया था; (ii) कि ऐसी मृत्यु कारित करने का प्रयास अभियुक्त के कृत्य के द्वारा या उसके परिणामस्वरूप किया गया था और; (iii) कि ऐसा कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया था, या कि यह ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने की मंशा से किया गया था - जिसे अभियुक्त जानता था कि मृत्यु कारित करने की संभावना है या प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी या कि अभियुक्त ने ऐसा कार्य करके मृत्यु कारित करने का प्रयास किया, जिसे वह जानता था कि वह इतना आसन्न खतरनाक है कि पूरी संभावना है कि वह मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट कारित करेगा जिससे मृत्यु होने की संभावना है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



22. न्यायालय को जो देखना है वह यह है कि क्या कार्य, उसके परिणाम के बावजूद, उस आशय या ज्ञान के साथ और धारा में उल्लिखित परिस्थितियों में किया गया था।

23. धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए, जान से मारने की मंशा अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से सिद्ध की जानी चाहिए, जैसे कि शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर हमले की निरंतरता। धारा 307 भा.द.सं. के प्रयोजनों के लिए, जो महत्वपूर्ण है वह मंशा या ज्ञान है, न कि मंशा को पूरा करने के उद्देश्य से किए गए वास्तविक कार्य का परिणाम।

24. धारा 307 भा.द.सं. के उपरोक्त आवश्यक तत्व विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुरूप हैं।

25. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय आश्वस्त है कि विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। स्वीकार्य रूप से, बार-बार या गंभीर वार किए जाने का कोई अभिकथन नहीं है। यहाँ तक कि पी.डब्ल्यू.-2 (घायल) को लगी चोटें भी साधारण प्रकृति की पाई गई हैं, जो अपीलार्थियों के पक्ष में एक अतिरिक्त बिंदु है।

26. साक्ष्य में यह सामने आता है कि तहसील खान ने सूचनादाता के पिता को पकड़ा और साबिर खान ने चाकू पकड़कर जान से मारने की नीयत से उनके पिता की गर्दन के बीच में दाहिनी ओर वार किया। प्रस्तुत वाद में, घायल दुलारे खान सूचनादाता के पिता हैं, जिन्हें उनके बाएं अग्रबाहु पर भी कटा हुआ घाव लगा था। यद्यपि डॉक्टर पी.डब्ल्यू.-4 की राय में, चोट संख्या 1 साधारण प्रकृति की थी और चोट संख्या 2 को निगरानी में रखा गया था, एक्स-रे की सलाह दी गई थी। एक्स-रे में कोई हड्डी की चोट नहीं पाई गई और चोट संख्या 2 की प्रकृति भी साधारण पाई गई।

27. हम अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों को स्वीकार करने के लिए आगे इच्छुक हैं कि अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से केवल भा.द.सं. की धारा 323 और 324/34 के अंतर्गत अपराध ही बन सकते हैं। इस प्रकार, धारा 307/34 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि पोषणीय नहीं है।

28. ऊपर की गई चर्चाओं की पृष्ठभूमि में और समग्र दृष्टिकोण अपनाने के साथ-साथ घायल को आई चोटों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि अपीलार्थियों द्वारा किया गया अपराध धारा 323 और 324 भा.द.सं. से आगे नहीं जाएगा। इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा पारित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आक्षेपित निर्णय और आदेश को संशोधित किया जाता है और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि धारा 323 और 324/34 भा.द.सं. के अंतर्गत आदेशित की जाती है। उन्हें धारा 323 भा.द.सं. के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि और 1,000/- रुपये के जुर्माने की सजा और धारा 324/34 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रत्येक को तीन वर्ष की सजा के साथ 5,000/- रुपये के जुर्माने की सजा दी जाती है। धारा 504 भा.द.सं. के अंतर्गत दी गई सजा, 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ बरकरार रखी जाती है और धारा 506 भा.द.सं. के अंतर्गत दी गई सजा को घटाकर तीन वर्ष की अवधि और 10,000/- रुपये के जुर्माने के साथ किया जाता है। सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

29. अपीलार्थियों द्वारा जुर्माना जमा न करने की स्थिति में उन्हें छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

30. पहले ही भुगती गई कारावास की अवधि को समायोजित किया जाएगा।

31. तदनुसार, वर्तमान अपील को एतद्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

32. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण न्यायालय के अभिलेख को यथाशीघ्र वापस करे और इस निर्णय की सूचना विचारण न्यायालय को भी दे।

(न्यायमूर्ति डॉ प्रशांत मिश्रा-I) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

5 फरवरी, 2026

काशिफा